



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर  
 घोसा व अन्ध बनाम देवा व अन्ध

मु०न० ३५ सन २०१९

मुकदमा

२२२११

खरीद हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
-----------	-----------------------------------	---

- १/ श्री. नोकी
- २/ श्री. शिवशंकर
- ३/ श्री. शंकर
- ४/ श्री. शंकर
- ५/ श्री. शंकर
- ६/ श्री. शंकर
- ७/ श्री. शंकर
- ८/ श्री. शंकर
- ९/ श्री. शंकर

03-02-2020  
 प्रार्थी सं. १ के वीसमान व प्रार्थीगण सं. २ से ५ ने व प्रार्थी सं. ५ ने प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्र.पत्र विडू केबने बागत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में उक्त प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्र.पत्र में दाने कोई कार्यवाही नहीं चाले व विडू कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रस्तुत प्र.पत्र उपस्थित प्रार्थीगण व उनके वीसमान तथा प्रार्थी सं. ५ को पकड़ सुनाया व समझाया गया। बाद केस होने, अस्थाई निषेधाज्ञा प्र.पत्र विडू बागत खसमति जाहिर की। उक्त खसमति खसकय प्रार्थी संख्या-१ के वीसमान व प्रार्थीगण सं. २ से ५ तथा प्रार्थी सं. ५ के इस्तेमाल करवाए गए। प्र.पत्र एवं पत्रावली का भवलेकन किया गया। बाद अवलोकन लोक अदालत की अपना से प्र.पत्र स्वीकार मोग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विडू की अनुमति दी जाकर प्र.पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल बुसाद डेकर नक्कर से काम हो।

प्रति म.  
 कंकु ५

(जसमोतसिंह संधू)  
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
 ब्यावर